भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. 32
04 फरवरी, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: एमएसपी को कानूनी गारंटी के लिए समिति

***32. श्री आनंद भदौरियाः**

क्या **कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या कृषि उपज के लिए एमएसपी की कानूनी गारंटी प्रदान करने के लिए गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य विशेषताओं सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसमें विलंब के क्या कारण हैं?

(घ) क्या सरकार देश के किसानों को एमएसपी की कानूनी गारंटी सुनिश्चित करने के लिए कोई कानून लाएगी;

(ङ) यदि हां, तो इसके लिए निर्धारित समय-सीमा सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान)

(क) से (च): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

“एमएसपी को कानूनी गारंटी के लिए समिति” के संबंध में लोक सभा में दिनांक 04.02.2025 को उत्तरार्थ श्री आनंद भदौरिया द्वारा पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 32 के भाग (क) से (च) का उललिखित विवरण।

(क) से (च): सरकार ने जुलाई, 2022 में दिनांक 18-07-2022 की अधिसूचना के माध्यम से एक समिति का गठन किया है जिनमें किसानों, केंद्र सरकार के प्रतिनिधि, राज्य सरकारों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व, प्रख्यात कृषि अर्थशास्त्री और वैज्ञानिक आदि शामिल हैं। समिति को सुझाव देना है ताकि न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाया जा सके; प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जा सके; देश की बदलती जरूरतों को ध्यान में रखते हुए फसल पैटर्न में बदलाव किया जा सके। अपनी स्थापना के बाद से समिति इन प्रमुख मुद्दों पर विचार-विमर्श करने तथा कार्यान्वयन योग्य सिफारिशें विकसित करने के लिए नियमित बैठकें आयोजित कर रही है।

******